हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
पो०बॉ०सं० P.B.No. 10224
कोलकाता KOLKATA-700 019

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT.OF INDIA ENTEERPRISE

सं.- HCL/SCY/*SE/ 2016*

01.10.2020

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
कॉरपोरेट सेवा विभाग,
बी.एस.ई.लिमिटेड,
फिरोज जीजीभ्‍वाय टॉवर,
दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई- 400 001
BSE Scrip Code 513599

उपाध्यक्ष,
लिस्टिंग विभाग,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.,
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक-जी,
बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट),
मुम्बई- 400 051
NSE Symbol : HINDCOPPER

महाशय/महोदया,

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) के पत्र क्रमांक CA.V / COY / CENTRAL Govt., HCOPPER (2)/125 दिनांक 10.08.2020 (01.10.2020 को प्राप्त) के द्वारा मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता को वितीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है । उपर्युक्त सी. और ए.जी. के पत्र की प्रति, जिसमें नियुक्ति के नियम और शर्ते हैं, के साथ मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र और उनकी संक्षिप्त रूपरेखा संलग्न है।

उपर्युक्त सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यक्ताऍ) विनियम 2015 के विनियमन 30 के अनुसरण में सूचना और रिकार्ड के लिए प्रस्तुत है ।

भवदीय,

ह0/-

कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, बहादुर शाह जफर मार्ग BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
नई दिल्ली NEW DELHI- 110 124

सं;-सीए. V/ COY/CENTRAL GOVERNMENT, HCOPPR(2)/125
दिनांक : 10/08/2020

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,
ताम्र भवन, I,P.B.सं.-.I0224
1, आशुतोष चौधुरी एवेन्यु,
कोलकाता ।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन अंकेक्षकों की नियुक्ति

महाशय/महोदया

निर्देशानुसार सूचित करना कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्ष (र्षों) 2020-2021 के लिए कंपनी का सांविधिक/संयुक्त सांविधिक/शाखा अंकेक्षक के रुप में अनुबंध-।। के अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म/सीमित दायित्व साझेदारी नियुक्त करने में गर्व महसूस कर रहा है । होल्डिंग कंपनी के सांविधिक/संयुक्त सांविधिक अंकेक्षक(कों) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 129(4) के साथ पठित, के अधीन समेकित वित्तीय विवरणों के लिए भी अंकेक्षक होंगे ।

2. आपसे अनुरोध है कि संबंधित अंकेक्षकों से वैयक्तिक रूप से संपर्क करें जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय ।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और (7) के तहत आपकी कंपनी के अनुपूरक/टेस्ट ऑडिट निम्नांकित को सौंपा गया है:-

मुख्य अंकेक्षक निदेशक (खान)
1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट,
कोलकाता- 700001

PRINCIPL DIRECTOR OF AUDIT (MINES)
NO. I, COUNCIL HOUSE STREET,
KOLKATA-700001

4 . अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किए जा सकते हैं जो कंपनी मामले के विभाग की सं;-7/76 दिनांक 08 अप्रैल 1976 तथा सं.-8/6/83 दिनांक 07 जून 1984 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित है ।

5. कंपनी द्वारा सूचना के अनुसार लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई/भुगतेय अंकेक्षण शुल्क का संकेत अनुबंध- II में दिया गया है। वर्ष 2020-2021 के लिए देय ऑडिट शुल्क (समेकन के लिए शुल्क सहित) में कोई संशोधन, और 2019-2020 के लिए अन्य सेवाओं (वैधानिक ऑडिट के अलावा) के लिए टीए / डीए की राशि सहित भुगतान किए गए सभी पारिश्रमिक का मदवार विवरण सूचित किया जा सकता है।

उपर्युक्त जानकारी वर्ष 2019-2020 के लिए लेखा को अंतिम रुप दिये जाने के बाद जल्द से जल्द उपलब्ध करायी जाय ताकि कार्यालय नियुक्त अंकेक्षकों की नियुक्ति / पुनः नियुक्ति की समीक्षा करने में सक्षम हो सके ।

6. उपर्युक्त नियुक्ति अनुबंध-1 (सी.ए.जी. की वेबसाइट - http://care.cag.gov.inlpolicy/terms.pdf पर उपलब्ध) में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन है ।

भवदीय,

ह0/-

(प्रीति नारायणन)

वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी

फोन: 011-23509240 Fax: 91-11-23237730, 91-11-23509241 E-mail: saoca5@cag.gov.in,02ca5@cag.gov.in

अनुबंध- I I

वर्ष 2020-2021 के लिए चार्टर्ड लेखाकरा की सूची

(LIST OF CHARTERED ACCOUNTANT FIRMS FOR THE YEAR 2020-2021

क्र सं	फर्म का नाम	पी.एस.यू. कोड/इकाई कोड	स्टेशन	अंकेक्षण विवरण	शुल्क रु.में (जैसा कि पी.एस.यू. ने सूचित किया है
सांविधिक अंकेक्षक					
1	चतुर्वेदी एंड कं. (*CA0129)* 60, बेन्टिक स्ट्रीट, कोलकाता, कोलकाता-700069, पश्चिम बंगाल	HCOPPR NDLI (3)	कोलकाता		1100000

CHATURVEDI & CO.

CHARTERED ACCOlJNTANTS
Park Cener., 24 Park Street, Kalkata. - 100 016.
Phone, 2229 2229. 460 I 2507
E4mail: chaturvcdikol@hotmail.com:chaturvcdisc@yaboo.co.in
(H.O: Kolkata. Branch- At Delhi.Mumbui. Chennai. Lucknow
HO at 60, Bentick Street, Kolkata - 700 069)

अक्टूबर 1, 2020

1. प्रबंध निदेशक
   हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,
   ताम्र भवन, 1, पी.बी.उं.-10224,
   आशुतोष चौधुरी एवेन्यु,
   कोलकाता- 700 019
2. वरीय प्रशासनिक अधिकारी,
   भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यालय,
   10, बहादुर शाह जफर मार्ग,
   नई दिल्ली - 110 124
3. प्रधान अंकेक्षक निदेशक,
   सं;-1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट,
   कोलकाता - 700 001

महोदय,

संदर्भ सं.- CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HCOPPR (2)/125
दिनांक 10.08.2020

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एनडीएलआई) का वर्ष 2020-2021 के लिए अंकेक्षकों की नियुक्ति

कृपया उपर्युक्त उद्धृत पत्र को संदर्भित करें जिसके द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (NDU) का वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए हमारी नियुक्ति सांविधिक अंकेक्षक के रूप में संसूचित की गई है, हम उक्त नियुक्ति को स्वीकार करते हैं।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि: -

1. कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन हमारे फर्म को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है,

2. कि कंपनी से कोई अनुचित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, पॉकेट खर्च का दावा नहीं किया जायेगा,
3. कि अंकेक्षण वर्ष के दौरान और फर्म ऑडिटर को छोड़ने के उपरांत एक वर्ष तक, कंसल्टेंसी या अन्य सेवाओं के आंतरिक अंकेक्षण के लिए कोई कार्यभार कंपनी से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नहीं स्वीकार करेगा जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के अधीन दिये गये स्पष्टीकरण में फर्म द्वारा दिया गया है ।
4. कि फर्म का कोई साझेदार/चार्टर्ड लेखाकार कर्मचारी विगत वर्ष के दौरान भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है ।
5. कि अंकेक्षण ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा जो (i) जिस फर्म को अंकेक्षण आवंटित किया गया है, का न तो सी.ए. फर्म का पार्टनर है और न ही कोई कर्मचारी है; (ii) जो पूर्व में सेवानिवृत्त अंकेक्षक के पार्टनर/कर्मचारी के रूप में उपर्युक्त सार्वजनिक उपक्रम के अंकेक्षण से जुड़े थे ।
6. चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म का कोई भी पार्टनर किसी भी प्राइवेट संस्थान/ कंपनी के निदेशक का पद धारण या अंकेक्षण या अन्य कोई कार्य/ कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तरह ही व्यवसाय या उद्योग का हो ।

धन्यवाद ।

भवदीय,
कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
ह0/-
(एस. सी. चतुर्वेदी)
पार्टनर

संक्षिप्त परिचय

हमारे बारे में

स्वर्गीय विद्या भास्कर चतुर्वेदी द्वारा 1963 में स्थापित चतुर्वेदी एंड कंपनी, (C&C) ऑडिट फर्म के रूप में अस्तित्व में आई। इसके बाद से ऑडिट, कराधान, प्रबंधन परामर्शी और वित्तीय सलाहकार सेवाओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है, और वर्तमान में यह देश में सबसे प्रतिष्ठित फर्मों में से एक है। आज हम सीमेंट, स्टील, कपड़ा, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल, बैंक, एनबीएफसी, बीमा, मीडिया, मनोरंजन, एयरलाइंस, निर्माण, इंजीनियरिंग, परिवहन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के 200 से अधिक उद्योगों में ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं/ कर चुके हैं ।

चतुर्वेदी एंड कंपनी, हम लगातार अपने ग्राहकों के लिए मूल्य वर्धित ज्ञान को आत्मसात करने हेतु मार्ग तलाश रहे हैं। हम उत्कृष्टता की अपनी खोज में सेवा के उच्च मानकों के साथ व्यावसायिकता का एक आदर्श मिश्रण का लक्ष्य रखते हैं । जैसा कि हमारा मिशन है, ग्राहकों को त्रुटिहीन सेवा प्रदान करने के लिए हमारे फर्म को प्रेरित करता है । हम यह पहचानते हुए कि प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं, के अनुसार अपनी सेवा मानकों को परिभाषित करने और उसका पालन करने के लिए तैयार हैं।
हमारा फर्म उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु अपने कर्मचारियों को ज्ञान, कौशल और प्रतिबद्धता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है । हमारे कर्मचारी उस टीम का हिस्सा है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए उसकी व्यक्तिगत शक्तियों को महत्व दिया जाता है ।

हमारी टीम

चतुर्वेदी एंड कंपनी टीम एक सुसज्जित और सक्षम टीम है। यह मूल्य और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए कानूनी, कराधान, लेखांकन, सलाहकार और लेखा परीक्षा विशेषज्ञता, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए लगातार काम करती है। हमारी प्रतिभा भविष्य के विकास के लिए हमारा एकमात्र महत्वपूर्ण स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है।